न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 142/2022

अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1– सूर्यपाल पुत्र श्री गिरधारी राम, जाति जाट निवासी वारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

2– कृष्ण लाल पुत्र श्री गिरधारी राम, जाति जाट निवासी बारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

— वादीगण

बनाम

1– स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

2– अजय पुत्र श्री महावीर

3– भूप सिंह पुत्र श्री पृथ्वी राज

जाति जाट, निवासीगण बारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

प्रतिवादीगण

4– दलीप कुमार पुत्र श्री धर्मवीर

5– राजपाल पुत्र श्री धर्मवीर

6– विजय कुमार पुत्र श्री धर्मवीर

जाति जाट, निवासीगण बारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब) ।

7– सुनीता पुत्री श्री धर्मवीर पत्नी श्री बेगराज, जाति जाट निवासी रावतसर, तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

8– द्रोपदी पत्नी श्री धर्मवीर, जाति जाट, निवासीगण बारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

9– निर्मला पुत्री श्री गिरधारी राम पत्नी श्री नेतराम, जाति जाट, निवासी उम्मेदपुरा, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा) ।

10– रामस्वरूप पुत्र श्री गिरधारी राम, जाति जाट, निवासी अर्बनवुड वाटिका, अजमेर रोड़, जयपुर (राजस्थान)

11– ओमप्रकाश पुत्र श्री गिरधारी राम, जाति जाट, निवासी बारेका, 172. तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

12– सुल्तान पुत्र श्री पृथ्वी राज, जाति जाट, निवासी बारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

13– राजेन्द्र पुत्र श्री पृथ्वी राज, जाति जाट निवासी बारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

14– जय सिंह पुत्र श्री महावीर, जाति जाट निवासी बारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

15– सरोज पुत्री श्री महावीर पत्नी श्री जयप्रकाश, जाति जाट, निवासी करणी नगर, नरेन्द्र नगर के नज़दीक, बीकानेर (राजस्थान)

16– नरेश कुमार पुत्र श्री सोहन लाल, जाति जाट, निवासी बारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

17– सुरेश कुमार पुत्र श्री सोहन लाल, जाति जाट निवासी वारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब) ।

18– सुशीला पुत्री श्री सोहन लाल पत्नी श्री राम सिंह, जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

19– भावना पुत्री श्री सोहन लाल पत्नी श्री भरतजी, जाति जाट निवासी वेगांवाली, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब) ।

20– सुमित्रा पत्नी श्री सुभाष, जाति जाट निवासी वारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

21– पंकज पुत्र श्री सुभाष, जाति जाट निवासी बारेका, तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)

22– भावना पुत्री श्री भजन लाल पत्नी श्री मनीष, जाति जाट निवासी वरियामखेड़ा, तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)

—— **प्रतिवादीगण**

उपस्थित– अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार अरोडा (वादीगण)
अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा (प्रतिवादी 2 व 3)
अधिवक्ता श्री विनोद सिंवर (प्रतिवादी 4 ता 22)
पैरोकार राज (प्रति.–1)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 08.01.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण वाद पत्र के शीर्षक में अंकित पते पर निवास करते हैं तथा काश्तकारी पेशा हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वाद पत्र दो प्रतियों में व शपथ पत्र से समर्थित कर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण का स्थाई पता सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 22 के हित भी वादीगण के साथ ही हैं, परन्तु आज रोज वाद प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित न होने के कारण उन्हें उक्त वाद में औपचारिक प्रतिवादीगण बनाया गया है। इस केस में वाक्यात इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 व 11 के पिता, प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 8 के ससुर गिरधारी राम पुत्र श्री नन्द राम व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 22 के दादा हजारी राम पुत्र श्री नन्द राम के पिता नन्द राम पुत्र श्री अमरा राम के नाम से कृषि भूमि वाके चक 1–बी छोटी, पटवार हल्का 4 जैड, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चक महाराजका, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 57 पुराना 46 के मुरब्बा नम्बर 28 की 4.884 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 9/1 की 0.126 हैक्टेयर, इस प्रकार दोनों मुरबों में कुल 5.0100 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात माल थी और नन्द राम की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त भूमि नन्द राम के दोनों वारिसान हजारी राम व गिरधारी राम के नाम से बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज हुई तथा हजारी राम व गिरधारी राम की मृत्यु उपरान्त गिरधारी राम की कृषि भूमि गिरधारी राम के वारिसान के नाम तथा हजारी राम के हिस्से की भूमि का इन्तकाल हजारी राम के वारिसान के नाम से वाद पत्र में अंकित अनुसार हो गया। हजारी राम व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गिरधारी राम द्वारा अपने जीवनकाल में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विभाजन आपस में घरू रूप से कर रखा था और उसी अनुसार ही काश्त कर रहे थे ।

हजारी राम का हिस्सा:–

कृषि भूमि वाके चक 1–बी छोटी के मूरच्या नम्बर 28 के किला नम्बर 3, 8, 9, 10, 11, 12, 19. ता 22 की 2.442 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 9/1 की 0.126 हेक्टेयर में से 0.063 हैक्टेयर किला नम्बर 10 के साथ चिपती हुई, कुल 2.505 हैक्टेयर

गिरधारी लाल का हिस्सा:–

कृषि भूमि वाके चक 1–बी छोटी, के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 4 ता 7, 13, 14, 17, 18, 23 व 24 की 2.442 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 9/1 की 0.126 हैक्टेयर में से 0.063 हैक्टेयर, कुल 2.505 हैक्टेयर.

उपरोक्तानुसार ही दोनों भाई हजारी राम व गिरधारी राम अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे थे और काश्त कर रहे थे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण भी उसी अनुसार ही काबिज चले आ रहे हैं व मौके पर अपनी–अपनी फसल काश्त कर रखी है। वादीगण व प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों द्वारा पूर्व में किये गये विभाजन व कब्जा के आधार पर ही अपना–अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते हैं, क्योंकि संयुक्त रूप से परिवार बढ़ जाने के कारण भूमि में सुधार कार्य करने में बाधा आ रही है। अतः वे उपरोक्त भूमि का उपरोक्तानुसार ही विभाजन करवा कर अपना–अपना खाता, हजारी राम व गिरधारी राम के विभाजन अनुसार, अलग–अलग दर्ज करवाना चाहते हैं ताकि अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि का सुचारू रूप से सुधार कर सकें। उक्त विभाजित रकबा के सम्बन्ध में खाले व नाके का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों के खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्सा के रकबा हेतु खाला एवं नाका छोड़ा हुआ है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार आग्रह किया कि वे उक्त भूमि को पूर्वजों के द्वारा किये गये विभाजन अनुसार अपने – अपने नाम से दर्ज करवा लेवें और अलग–अलग मामला भी कायम करवा लेवें जिस हेतु प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 22 ने अपनी–अपनी सहमति दी, परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 15.08.2022 को ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया गया। इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वाद प्रस्तुत करने का वाद हेतुक प्राप्त हुआ। चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 ता 22 उक्त वाद प्रस्तुत करने हेतु आज उपस्थित न होने के कारण उन्हें उक्त वाद में औपचारिक प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार कृषि भूमि की मालिक है, इसलिये आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। उक्त कृषि भूमि वाके चक 1–बी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जो कि श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने होने के कारण उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो उचित कोर्ट फीस एवं बिना किसी देरी के समयावधि में प्रस्तुत है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक वादीगण, विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार आदेशित एवं आज्ञाप्ति किया जावे:–

(क) यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित विवरण अनुसार गिरधारी राम व हजारी राम के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन उनके कब्जा अनुसार किया जावे।

(ख) यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय, वादीगण के हित में उचित समझे, प्रदान किया जावे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 22 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथानुसार उपरोक्त अनवान का वाद कृषि भूमि वाके चक 1 बी छोटी पटवार हल्का 4 जैड

Scanned with OKEN Scanner

भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चक महारजका, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 57 पुराना 46 के गुरब्बा नम्बर 28 की 4.844 हेक्टेयर व इसी बक के मु०नं० के किला नं0 9/1 की 0.126 हैक्टेयर, इस प्रकार से दोनों गुरबों की कुल 5.0100 हैक्टेयर कृषि भूमि नंद राम पुत्र अमरा राम के नाम से थी जिनके देहान्त के पश्चात् नंद राम के दोनों वारिसान गिरधारी राम पुत्र नंद राम व हजारी राम पुत्र नंद राम के नाम से बहिस्सा बराबर–बराबर अंकित हुई और इन दोनों की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त अराजी का इंतकाल गिरधारी राम व हजारी राम के वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है, के विभाजन के सम्बंध में प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण, गिरधारी राम व हजारी राम के वारिसान है। हमारे पूर्वजों द्वारा पूर्व में ही भूमि का विभाजन वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित अनुसार किया हुआ है और उस अनुसार ही यदि डिक्री पारित की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 22 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र को ही हमारा जवाब दावा माना जावे और वादीगण के वाद की मद संख्या 3 में वर्णित विभाजन अनुसार डिक्री पारित की जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में अंकित तथ्य जिस तरह से कृषि भूमि वाके चक 1 बी छोटी पटवार हल्का 4 जैड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चक महारजका, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 57 पुराना 46 के मुरब्बा नम्बर 28 की 4.844 हैक्टेयर व इसी चक के मु0नं0 38 के किला नं0 9/1 की 0.126 हैक्टेयर, इस प्रकार से दोनों मुरब्बों की कुल 5.0100 हैक्टेयर कृषि भूमि नंद राम पुत्र अमरा राम के नाम से थी जिनके देहान्त के पश्चात् नंद राम के दोनों वारिसान गिरधारी राम पुत्र नंद राम व हजारी राम पुत्र नंद राम के नाम से बहिस्सा बराबर–बराबर अंकित हुई और इन दोनों की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त अराजी का इंतकाल गिरधारी राम व हजारी राम के वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। वाद पत्र की मद संख्या 3 में अंकित यह तथ्य कि हजारी राम व गिरधारी राम द्वारा अपने जीवनकाल में उपरोक्त वर्णित भूमि का अपने हिस्सानुसार विभाजन करने से कोई इन्कारी नही है और अपने विभाजन अनुसार ही दोनों भाई बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज चले आ रहे थे और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज चले आ रहे है, उपरोक्त मद में वर्णित हिस्सानुसार अगर विभाजन किया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 5 में अंकित तथ्यों से भी कोई इन्कारी नहीं है। यह कि वाद पत्र की मद संख्या 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है । वाद पत्र की मद संख्या 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष यदि वादीगण को प्रदान किया जाता है तो उत्तरदाता प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 ता 22 के द्वारा इकबालिया जवाब दादा पेश किया जा चुका है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं जमाबंदी सम्वत 2073–2076 चक 1 बी छोटी पटवार हल्का 4 जैड, भू.अ.नि.क्षेत्र. चकमहाराजका खाता संख्या 57/46, जमाबंदी सम्वत 2073–2076 चक 1 बी छोटी पटवार हल्का 4 जैड, भू.अ.नि.क्षेत्र. श्रीगंगानगर खाता का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की आराजी होने एवम् वादीगण अपना खाता विभाजन करवाने का अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 4729 दिनांक 20.08.2024 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। वकील उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर की गई एवं वाद मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योगय पाया गया।

—:: आदेश ::—

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को तहसीलदार श्रीगंगानगर के प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :—

क.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	1. हजारी लाल के वारिसान निम्न प्रकार है— पृथ्वीराज, महावीर, सोहन लाल, सुभाष, भजन लाल जो कि फौत हो चुके हैं जिनके आगे वारिस निम्न प्रकार से हैं— **1. प्रथ्वीराज के वारिस निम्न प्रकार से है—** 1 राजेन्द्र (पुत्र)2. भूपसिंह(पुत्र) 3. सुलतान(पुत्र) **2. महावीर के वारिस निम्न प्रकार से हैं—** 1 जयसिंह(पुत्र), 2. सरोज (पुत्री), 3. अजय सिंह(पुत्र) **3. सोहन लाल के वारिसन निम्न प्रकार से हैं—** 1 सावित्री(पत्नी), 2 नरेश(पुत्र), 3 भावना(पुत्री), 4 सुरेश(पुत्र) 5 सुशीला(पुत्री) **4. सुभाष के वारिस निम्न प्रकार से है—** 1. सुमित्रा(पत्नी) 2 पंकज (पुत्र) **5. भजन लाल के वारिस निम्न प्रकार से हैं—** 1विपिन(पुत्र) 2 भावना (पुत्री)	वक 1 बी छोटी के मुरबा नम्बर 28 के किला नम्बर 3/1(0.025 खाला), 3/2(0.228), 8(0.253), 9(0.253), 10(0.253), 11(0.253), 12(0.253), 19(0.253), 20(0.253), 21(0.228), 22(0.228) कुल 2.442 हैक नहरी मय खाला मु.नं. 38 के किला नं 9/1(0.063) = 0.063 हैक्टर कुल 2.505 हैक्टर नहरी मय खाला
2	**गिरधारी लाल के वारिसान निम्न प्रकार से है—** 1. ओमप्रकाश(पुत्र) 2. कृष्णलाल (पुत्र) 3. निर्मला (पुत्री), 4 रामस्वरूप(पुत्र), 5 सूर्यपाल(पुत्र) 6. धर्मवीर(पुत्र)फौत 2. **धर्मवीर पुत्र गिरधारी लाल जो कि फौत हो चुका है, उसके**	चक 1 बी छोटी मुरबा नम्बर 28 के किला नम्बर 4/1(0.228), 4/2(0.025 खाला), 5/1(0.227), 5/2(0.026 खाला), 6(0.253), 7(0.253), 13—14(0.506), 17(0.253), 18(0.253), 23(0.228), 24(0.228) = 2.442 हैक्टर नहरी मय खाला मु.नं. 38 के किला नं 9/1(0.063) = 0.063 हैक्टर कुल 2.505 हैक्टर नहरी मय खाला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

	वारिस निम्न प्रकार से हैं– 1 द्रोपती(पत्नी), 2 दलीप कुमार(पुत्र), 3. राजपाल (पुत्र), 4 विजय कुमार (पुत्र), 5 सुनीता (पुत्री)	
	1. दोनो विभाजित खातों के खातेदारों का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी रहेगा। 2. मृतक खातेदार का हिस्सा निर्वसीयती मृत्यु की दशा में वारिसान के नाम मुताबिक उत्तराधिकार कानून दर्ज करे। 3. वसीयत की दशा में बाद सुनवाई निर्णय करे।	

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.01.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर